शुद्धि पत्र

संख्या-**4/2018/**584 (1) ई-1/तेरह-2018-127(14)/2004

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 30 मार्च, 2018

विषयः-विभाग के आनलाइन मैनेजमेन्ट सिस्टम के विकास के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-6620/आठ-सांख्यिकी/ट्रैक एण्ड ट्रेस/2017-18, दिनॉक 29 मार्च, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें बी0एस0एन0एल0 के क्लाउड सर्वर पर छः माह के लिए वेबस्पेस लिये जाने हेतु (जी0एस0टी0) सहित रू0 22,77,622/- (रूपये बाइस लाख सतहत्तर हजार छः सौ बाइस मात्र) के सम्भावित व्यय का उल्लेख करते हुए उक्त धनराशि की प्रशासनिक स्वीकृति तथा आय-व्ययक में उपलब्ध धनराशि रू0 20,00,000/- (रूपये बीस लाख मात्र) के व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के साथ-साथ उक्त धनराशि बी0एस0एन0एल0 को अग्रिम रूप से देने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-584 ई-1/तेरह-2018-127(14)/2004, दिनॉक 26 मार्च, 2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-01 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2039-राज्य उत्पाद शुल्क-आयोजनेत्तर-001-निदेशन एवं प्रशासन के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 2000000/- की धनराशि की व्यवस्था की गयी है। उक्त व्यवस्था में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-(3) में अंकित यह शर्त कि 'उपर्युक्त पुनर्विनियोग मात्र बजट व्यवस्था कराये जाने के प्रयोजन से किया जा रहा है, को सम्यक विचारोपरान्त समाप्त किया जाता है। शासनादेश संख्या-584 ई-1/तेरह-2018-127(14)/2004, दिनॉक 26 मार्च, 2018 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश दिनॉक 26 मार्च, 2018 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

3 आपके उक्त पत्र दिनॉक 29 मार्च, 2018 में किये गये प्रस्तावानुसार आय-व्ययक में उपलब्ध धनराशि रु0 20,00,000/- (रु0 बीस लाख मात्र) के व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के साथ उक्त धनराशि बी0एस0एन0एल0 को अग्रिम रुप से देने की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त व्यय लेखा शीर्षक 2039- राज्य उत्पाद शुल्क, 001- निदेशन तथा प्रशासन,03- अधीक्षण, 46-कम्प्यूटर हार्ड वेयर/साफ्टवेयर के क्रय के मानक मद के अन्तर्गत किया जायेगा।

भवदीय,

वेद प्रकाश राय
अनु सचिव।

संख्या-**4/2018/**584 (2) ई-1/तेरह-2018-127(14)/2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- निदेशक वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

वेद प्रकाश राय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- **4/2018/**584 ई-1/तेरह-2018-127(14)/2004

प्रेषक,

कृपा शंकर शुक्ल,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 26 मार्च, 2018

विषयः-वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-01 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2039-राज्य उत्पाद शुल्क-आयोजनेत्तर-001-निदेशन एवं प्रशासन' के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-121/एक-4/अनुदान/2017-18, दिनॉक 16 मार्च, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि आबकारी विभाग में मैनेजमेन्ट इन्फारमेशन सिस्टम के विकास हेतु लेखा शीर्षक 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03-अधीक्षण 08-कार्यालय व्यय में सम्भावित बचत से रू0 20,00,000.00 (रूपये बीस लाख मात्र) की धनराशि को लेखा शीर्षक 2039-राज्य उत्पाद शुल्क,001 निदेशन तथा प्रशासन, 03-अधीक्षण, 46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय में पुनर्विनियोग के माध्यम से बजट व्यवस्था की गयी है। उक्त धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(1) जिस मानक मद में पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है उसकी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नही की जायेगी।

(2) पुनर्विनियोग करायी जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(3) उपर्युक्त पुनर्विनियोग मात्र बजट व्यवस्था कराये जाने के प्रयोजन से किया जा रहा है।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0 ई-9-127/दस-17, दिनॉक 26 मार्च, 2018 में के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

कृपा शंकर शुक्ल
उप सचिव।

संख्या-**4/2018/**584 (1) ई-1/तेरह-2018-127(14)/2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृपा शंकर शुक्ल
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in